न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/18/2019

अपीलार्थीः–
कृष्ण कुमार कुकरेजा दुकान नं0 38
तिलक मार्केट होप सर्कस के पास
अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः–21.05.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत अपील दिनांक 18.03.19 से प्रा0पत्र दिनांक 30.05.2018 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी किन्तु करीब आठ माह बावजूद संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब अधूरा एवं अपूर्ण अंकित कर दिया कि चाही गयी नकल तलाश की जा रही जो प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो **दिनांक 09.04.19** को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त अपील के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को पत्रांक क्रमशः 507 दिनांक 29.03.19 एवं 756–57 दिनांक 26.04.19 के माध्यम से संबंधी अपील की प्रति संलग्न करते हुऐं, अपील में वर्णित बिन्दूओं पर जवाब चाहा गया था। प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर द्वारा उक्त क्रम में लोक सूचना अधिकारी को जरिये पत्रांक 983–84 दिनांक 29.04.19 से अवगत कराया कि प्रकरण की मूल पत्रावली तलाश की जा रही है, मूल पत्रावली तलाश होने पर ही प्रार्थी को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी–तद्नुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 821 दिनांक 13.0519 से सूचित किया गया है–ओर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई।
6. प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना जो करीब लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपील दायर होने तक सूचना उपलब्ध नही कराई गई जो उचित प्रतीत नहीं होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है की वो प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट अलवर अपीलार्थी की पत्रावली 15 दिवस में तलाश कराई जाकर यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 21.05.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)